निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1938 (श0)

संख्या 50 पटना, बुधवार, ——————

14 दिसम्बर 2016 (ई0)

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। | 2-2 |
| भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। | --- |
| भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। | --- |
| भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि | --- |
| भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। | 3-4 |
| भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। | --- |
| भाग-4—बिहार अधिनियम | --- |
| भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। | --- |
| भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। | --- |
| भाग-9—विज्ञापन | --- |
| भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं | --- |
| भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। | 5-5 |
| पूरक | --- |
| पूरक-क | 6-7 |

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

**निगरानी विभाग**

अधिसूचना

5 दिसम्बर 2016

सं० नि0वि0स्था0–4412/88–**4634**—पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 9044 दिनांक 03.11.16 द्वारा श्री रवि शंकर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की सेवा अगले आदेश तक निगरानी विभाग में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी गयी है। तदनुसार दिनांक 04.11.16 को श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 04.11.2016 के पूर्वाहन से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अभियंता प्रमुख के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 39—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# भाग-2

## बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

मुख्य अभियंता का कार्यालय

सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग ,सिवान।

**कार्यालय आदेश**

22 नवम्बर 2016

सं0 1स्था0अनु0–12–109 / 2013–50 / सिवान––समाहर्ता–सह–अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति **सिवान** .के पत्रांक **508 / स्था0 दिनांक 10.6.16** द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति **सिवान** की दिनांक **30.12.2015** की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में **श्री जितेन्द्र कुमार, पिता स्व0 काली शंकर प्रसाद, भूतपूर्व अनुसेवक, वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं0 4, सिवान** की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान **5200–20200 + ग्रेड पें–1800 रुपये** एवं समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित **कार्यालय परिचारी** के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, **कार्यपालक अभियंता**, **आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, सिवान** के कार्यालय में दिनांक **21.12.2016** तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है।

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी।

3. **स्व0 काली शंकर प्रसाद** के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व **श्री जितेन्द्र कुमार** पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला **सिवान** के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा।

5. अगर **श्री जितेन्द्र कुमार** की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी।

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकम्पा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण–पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी।

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी **श्री जितेन्द्र कुमार** से भरण–पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।

11. उप–सचिव , वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से

(ह०) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 39—571+10-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# भाग-9(ख)

## निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1406—I, APURVA, S/o Mr.SamirJhunjhunwala, R/o, 23, BasantVihar Colony, Boring Road, Patna vide affidavit no. 18683 Dated 08.11.16 shall be known as APURVA JHUNJHUNWALA for all future purposes.

APURVA.

---

सं० 1407—मैं, चन्दन रमण, पिता श्री शंकर दास साकिन–भवानन्दपुर वार्ड नं०–8 थाना–वीरपुर, जिला बेगूसराय शपथ पत्र संख्या 24975 दिनांक 17.10.2016 के द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं दुसरे दस्तावेजों में मेरा नाम चन्दन मोची अंकित है, जिसे बदलकर चन्दन रमण कर रहा हूं। अब मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाऊंगा।

चन्दन रमण ।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट, 39—571+10-डी0टी0पी0।**

**Website: http://egazette.bih.nic.in**

# बिहार गजट

# का

# पूरक(अ0)

# प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

## वाणिज्य–कर विभाग

**अधिसूचना**
**8 दिसम्बर 2016**

सं० कौन/भी–109/2009–416सी––श्री अभिमन्यु सिंह, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त द्वारा बेतिया अंचल के पदस्थापन काल में सर्व श्री एम0पी0उद्योग लिमिटेड सुगर मिल्स का कर निर्धारण, औद्योगिक व्यवहार के लिए दो पैसे प्रति यूनिट तथा आवासीय व्यवहार के लिए 08 (आठ) पैसे प्रति यूनिट की दर से किया गया जबकि अधिसूचना संख्या 137 दिनांक 21.10.2002 द्वारा विद्युत शुल्क, विद्युत मूल्य का 6 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण करना था। गलत कर निर्धारण के कारण श्री सिंह पर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय कार्यवाही से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की गयी। द्वितीय कारणपृच्छा में प्राप्त स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए विभागीय कार्यवाही से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर श्री सिंह को निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है।

(1) श्री अभिमन्यु सिंह वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त को 'निन्दन' का दण्ड संसूचित की जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनके चारित्री वर्ष 2005–06 में की जाएगी।

(2) दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जा सकती है जो पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, उप–सचिव।

## पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2016

सं० 5 नि0गो0वि0 (5) 28/2014–**393 नि0गो0—** डा0 धर्मेन्द्र सिंह (निलंबित), तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन केन्द्रीय क्षेत्र, पटना को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सुदृढ़ीकरण के तहत टूल्स एवं प्लांट की स्थापना हेतु क्रयादेश निर्गत किये जाने संबंधी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 763 नि0गो0 दिनांक 03.11.2014 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पूर्णिया निर्धारित किया गया।

2. डा0 सिंह द्वारा निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया। बाद में डा0 सिंह के अनुरोध पर उनका मुख्यालय पूर्णिया से बदलकर पशुपालन निदेशालय, पटना निर्धारित किया गया। पूर्णिया की अवधि दिनांक 03.11.2014 से 17.09.2015 में योगदान नहीं करने के कारण जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया।

3. डा0 सिंह से निलंबन समाप्त करने एवं बिताए गये छुट्टी को विनियमित करने के अनुरोध संबंधी अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी और समीक्षोपरांत पाया गया कि डा0 सिंह की निलंबन अवधि दो वर्ष हो चुकी है। डा0 सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के यहाँ संचालित है एवं जांच प्रतिवेदन प्रतीक्ष्य है। अतएव डा0 सिंह के निलंबन को इस शर्त के साथ वापस लेने का निर्णय लिया गया है कि निलंबन अवधि के वेतन एवं अन्य भत्ते के भुगतान का निर्णय विभागीय जांच आयुक्त के प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से लिया जायेगा।

4. सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा0 धर्मेन्द्र सिंह का निलंबन अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि निलंबन अवधि के वेतन एवं अन्य भत्ते के भुगतान के संबंध में विभागीय जांच आयुक्त के प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

5. निलंबन से मुक्त होने के बाद डा0 धर्मेन्द्र सिंह पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान देंगे।

बिहार– राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट, 39—571+20-डी0टी0पी0।**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**